न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. 307/2015 — प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा — हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज — ओमप्रकाश v/s सुरतराम [Gems-2015/00643]	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.05.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मोहनलाल, रमेशचन्द, विजय कुमार, अशोक कुमार पुत्रगण रामस्वरूप ने जरिये अधिवक्ता श्री उमेश खण्डेलवाल ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10(2) सी.पी.सी एवं आदेश 23 नियम 1(क) व धारा 151 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि हमें प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पक्षकार बनाया जावे। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र व पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर मनन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रार्थी मोहनलाल वगै. द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10(2) सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया है, उक्त प्रार्थीगण पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 15 तक पूर्व से ही संयोजित है। अतः पत्रावली में पूर्व से संयोजित पक्षकारों को पुनः पक्षकार बनाया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10(2) सी.पी.सी एवं आदेश 23 नियम 1(क) व धारा 151 सी.पी.सी. खारीज किया जाता है। वकील प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में दिनांक 07.08.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विड्रा किये जाने के प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आगे नही चलाना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विड्रा किये जाने का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर विड्रा की अनुमति के साथ खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.26 12:06:32 IST
Reason: SelfAttested